

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग  
आदेश

सं०सं०-11/एम०(कोर्ट)-04/2025.....(11)/

दिनांक-.....

विभागीय आदेश ज्ञापांक-293(11), दिनांक-27.04.2026 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No-1989/2023 अनिल कुमार शर्मा एवं अन्य में दिनांक-25.09.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में आवश्यक अर्हता रखने वाले चार याचिकाकर्ताओं क्रमशः श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री सुरेन्द्र प्रसाद, श्री राम एकबाल प्रसाद एवं श्री राजनन्दन साव को क्षेत्रीय कार्यकर्ता के रिक्त पद पर जिला मलेरिया कार्यालय, पटना में समायोजित/नियुक्ति/पदस्थापन किया गया है।

उल्लेख करना है कि इन्हे स्वास्थ्य विभाग में वर्तमान में उपलब्ध रिक्ति में वरिष्ठता/वरीयता के शर्त के अधीन समायोजित/नियुक्त किया गया है।

ह०/-

(डॉ० प्रणय राज शरण सिन्हा)  
निदेशक प्रमुख, (प्रशासन)  
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-11//एम०(कोर्ट)-04/2025 -298...(11)/ पटना, दिनांक-29/04/2026

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/अपर निदेशक-सह-राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (मलेरिया/कालाजार), स्वास्थ्य भवन, सुलतानगंज, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/सिविल सर्जन, पटना/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना, बिहार/जिला मलेरिया पदाधिकारी, जिला मलेरिया कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा-07 एवं 04 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- नव नियुक्त क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्वास्थ्य विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख, (प्रशासन)  
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।